22

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भूमरा/2018/0182

लखनलाल पुत्र श्री बृजबिहारी बाहम्ण

निवासी – निधौली तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर

-- अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 313/स्व. निग./2004–05 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, तहसीलदार गौरिहार द्वारा आवेदक की पात्रता के संबंध में विधिवत् जांच कर अपने प्रकरण क्रमांक 5882/बी–121/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2002 से ग्राम निधौली की भूमि खसरा नं. 984 रकवा 0.713 है0 का व्यवस्थापन किया गया था।

2. यहकि, तहसीलदार गौरिहार के आदेश के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया ऐसी स्थिति में तहसीलदार गौरिहार का आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है।

3. यहकि, तहसीलदार गौरिहार के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा स्वप्ररेणा निगरानी का प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसमें आवेदक की ओर से उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि ग्रम निधौली में स्थित खसरा नं. 984 रकवा 0.713 है0 भूमि पर आवेदक का पूर्वजो के समय से कब्जा कास्त करके चला आ रहा है तथा वर्तमान में आवेदक भूमि पर काबिज है तहसीलदार गौरिहार द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुये इस्तहार जारी कर ग्राम पंचायत बोर्ड पर आपत्तियां आमंत्रित कर गांव के पंचो के हस्ताक्षर एवं निशानी अगूंठा लगवाकर भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0182 लखनलाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक लखनलाल की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 313/स्व.निग./2004-05 में पारित आदेश दिनांक 07-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

20.12.18

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य